17 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति के प्रथम बैठक की कार्यवृत्त (मतैक्यता समूह की 12 वीं बैठक)

17.04.2015 को नई दिल्ली में श्री ए.बी पांड्या, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्षता की अध्यक्षता मे संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति की प्रथम बैठक (मतैक्यता समूह की 12 वीं बैठक) आयोजित हुई थी। इस बैठक में उपस्थित सहभागियों की सूची संलग्नक -1 में दी गई है।

आरंभ में, अध्यक्ष ने उप-समिति के बैठक के सभी सदस्यों और सहभागियों का स्वागत किया। अपने आरंभिक व्याख्यान में उन्होंने उल्लेख किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नदियों को जोड़ने की परियोजना की विशेष समिति और 17 अक्टूबर, 2014 को आयोजित इसकी प्रथम बैठक में माननीय मंत्री (ज.सं, न.वि और गं.सं.मं) ने चार उप-समितियाँ संस्थापित करने का निर्णय लिया था, जिसमे से एक उप-समिति संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए बनाई गई थी। जल संसाधन मंत्रालय ने पहले भी अध्यक्ष, के.ज.आ के अध्यक्षता के अंतर्गत एक मतैक्यता समूह की स्थापना की थी जिसके सदस्य संबंधी राज्यों में से थे। अब इस समूह का नाम बदलकर संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति रख दिया गया है। हालांकि, यह मतैक्यता समूह की 12 वीं बैठक है किन्तु इसे उप-समिति की प्रथम बैठक समझा जा रहा है। अध्यक्ष ने बताया कि इस उप-समिति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह नदियों के अंतर्योजन की परियोजना के विशेष समिति के कार्यों में उसकी सहायता करेगा। उन्होंने सदस्यों को परियोजनओं के तकनीकी पहलुओं पर मतैक्यता पर पहुँचने को प्रेरित किया। सभी में मध्य संक्षिप्त परिचय के बाद अध्यक्ष ने महानिदेशक, रा.ज.वि.अ से एजेंडा मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का अनुरोध किया।

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने बैठक में चर्चा किए जाने के प्रस्तावित एजेंडा मुद्दों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया और चर्चा के बाद श्री आर.के जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ से बैठक के एजेंडा मुद्दों पर प्रस्तुतीकरण पेश करने का अनुरोध किया। चर्चाओं और लिए गए निर्णय इस प्रकार है।

सदस्यों को उप-समिति के विचारणीय विषयों से अवगत करवाया गया। यह बताया गया कि 24.3.2015 को रा.ज.वि.अ के शासी निकाय की 61 वीं बैठक के दौरान चार लिंक परियोजनाओं, अर्थात रा.प.यो की दो अंतर बेसिन अंतरण लिंकों, अर्थात कर्नाटक की नेत्रावती – हेमावती लिंक और बेदती – वरदा लिंक और दो अंतः राज्य लिंकों, अर्थात झारखण्ड राज्य की संख – दक्षिण कोयल और दक्षिण कोयल – सुबर्णरेखा लिंक पर चर्चा के लिए इस उप-समिति की बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया गया था।

मुद्दा 1.1 रा.प.यो के अंतर्गत नेत्रावती – हेमावती लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने एजेंडा मुद्दे में प्रस्तुत लिंक प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण पेश किया। इस लिंक परियोजना की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट 1995 में रा.ज.वि.अ द्वारा तैयार की गई थी और संचारित की गई थी। रा.ज.वि.अ द्वारा इस लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट की तैयारी के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य आयोजन हेतु कर्नाटक सरकार से उनकी सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। रा.ज.वि.अ के बारम्बार अनुरोधों के बावजूद कर्नाटक सरकार से इसके उत्तर की प्रतीक्षा है। 24.3.2015 को आयोजित 61 वीं शासी निकाय बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी।

कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों ने सूचित किया कि कर्नाटक सरकार नेत्रावती नदी के जल का उपयोग बैंगलोर शहर और निकटवर्ती अन्य शहरों के उन स्थानों में पेय जल आपूर्ति के उद्देश्य हेतु उपयोग करने की योजना बना रही थी जहाँ

पर जल का कोई स्रोत नहीं है या जल का अभाव है। इस आवश्यकता को पूरा किए जाने के बाद यदि कोई अधिशेष जल बचता है तो नेत्रावती – हेमावती लिंक के ज़रिए उसके अंतरण पर विचार किया जाएगा।

तमिल नाडू के प्रतिनिधियों ने कहा कि रा.ज.वि.अ कर्नाटक सरकार से केवल व्यवहार्यता रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए सहमति प्रदान करने का निवेदन किया था और न कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर सहमति प्रदान करने का, अतः इस लिंक की व्य.रि/ वि.प.रि बनाने के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा रा.ज.वि.अ को सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य आयोजित करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

संयुक्त सचिव (पीपी), ज.सं, न.वि और गं.सं.मं के अवलोकन अनुसार कर्नाटक सरकार को नेत्रावती – हेमावती लिंक से अंतरण के लिए प्रस्तावित नेत्रावती नदी के जल उपयोग योजना के तथ्यों और आंकड़ों सहित सभी जानकारियाँ प्रदान करनी चाहिए। कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने दो महीनों के अंदर कर्नाटक सरकार का जवाब प्रस्तुत करने के प्रति सहमति प्रदान की।

कें.ज.आ के अध्यक्ष ने प्रदर्शित किया कि नेत्रावती – हेमावती लिंक एक अंतर बेसिन जल अंतरण (अं.बे.ज.अं) परियोजना है और कर्नाटक नेत्रावती नदी के जल का उपयोग बैंगलोर शहर और निकटवर्ती अन्य शहरों को सार्वजनिक जल आपूर्ति करने की योजना बना रहा है, वह भी एक अं.बे.ज.अं परियोजना ही है। मूलभूत सवाल यह है कि किसे कितने जल की आवश्यकता है और कहाँ आवश्यकता है। उन्होंने प्रेक्षण किया कि यदि हम परियोजना के कार्यान्वयन पर अगला कदम नहीं उठाते हैं, तो इस परियोजना से समाज को होने वाले लाभ को वंचित करेंगे।

रा.ज.वि.अ के महानिदेशक ने बताया कि रा.ज.वि.अ ने केवल दो लिंकों, अर्थात नेत्रावती – हेमावती और बेदती – वरदा लिंकों के अलावा रा.प.यो के प्रायद्वीपीय अवयवों के सभी लिंक परियोजनाओं का व्यवहार्यता रिपोर्ट (व्य.रि) तैयार लिया है।

अध्यक्ष, के.ज.आ और उप-समिति के अध्यक्ष ने कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधियों से अपना उत्तर भेजने और एक समयबद्ध तरीके से रा.ज.वि.अ को संबंधी आंकड़ों सहित नेत्रावती जल के उपयोग की योजना का विस्तृत विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया। कर्नाटक सरकार के प्रतीधियों ने दो महीनों के भीतर कर्नाटक सरकार का उत्तर प्रदान करने का आश्वासन दिया और जिस पर उप-समिति ने सहमति जताई।

1.2 रा.प.यो के अंतर्गत बेदती – वरदा लिंक परियोजना

रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने एजेंडा मुद्दे में प्रस्तुत बेदती – वरदा लिंक परियोजना का संक्षिप्त विवरण पेश किया। 1995 के दौरान रा.ज.वि.अ द्वारा इस लिंक परियोजना की पूर्व- संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की गई थी और संचारित की गई थी। उन्होंने बताया कि इस लिंक की व्य.रि तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण निष्पादित करने में रा.ज.वि.अ को स्थानीय जनता के तरफ से विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, उन्होंने यह भी बताया कि इस परियोजना के संबंध में स्थानीय जनता और अशासकीय संस्था को शांत करने के लिए और इस परियोजना के बारे में सार्वजिक जागरूकता पैदा करने के लिए रा.ज.वि.अ ने कर्नाटक के सिरसी में एक सम्मलेन आयोजित किया था।

कर्नाटक सरकार ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की सहमति प्रदान कर दी है। हालांकि, एक स्थानीय एन.जी.ओ के विरोध के कारण सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य नहीं किया जा सका, जिन्होंने कर्नाटक सरकार द्वारा निर्मित विचारणीय विषयों सहित कर्नाटक सरकार द्वारा इस परियोजना को कवर करते सम्पूर्ण सिरसी जिला की पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आई.ए.) अध्ययन निष्पादित करने की माँग की थी। एन.जी.ओ. के अनुरोधों अनुसार कर्नाटक सरकार से ई.आई.ए.

अध्ययन आयोजित करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि, कर्नाटक सरकार द्वारा इस अध्ययन पर कार्य आरंभ करना अभी बाकी है।

कर्नाटक के प्रतिनिधियों में बताया कि ई.आई.ए. अध्ययन की विचारणीय विषय तय करने के लिए उनकी सरकार ने एक समिति संस्थापित की है। अध्यक्ष ने प्रेक्षण किया कि रा.ज.वि.अ ने लगभग 7 वर्षों पहले कर्नाटक सरकार को ई.आई.ए. अध्ययनों की मसौदा विचारणीय विषय भेज दिया था और अतः अब कर्नाटक सरकार द्वारा समिति संस्थापित करने का कदम उठाया जाना इस मामले में अत्यंत विलंबित प्रतिक्रिया थी। ई.आई.ए. की प्रक्रिया उत्तम रूप से परिभाषित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा ई.आई.ए. अध्ययनों की विचारणीय विषयों पर अनुमोदन प्रदान किया जाना है।

इस मामले पर शीघ्रतम कार्यवाही के लिए संयुक्त सचिव (पीपी), ज.सं, न.वि और गं.सं.मं ने अध्यक्ष, के.ज.आ और महानिदेशक, रा.ज.वि.अ से प्रधान सचिव, ज.सं.वि, कर्नाटक सरकार को अर्ध सरकारी पत्र भेजने का अनुरोध किया है।

के.ज.आ के अध्यक्ष और उप-समिति के अध्यक्ष ने कर्नाटक सरकार से एक महीने की अवधि के अंदर अपना उत्तर भेजने का अनुरोध किया है।

1.3 अंतः राज्य लिंक परियोजनाएं

1.3.1 संख – दक्षिण कोइल लिंक

रा.ज.वि.अ के मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने झारखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित संख – दक्षिण कोइल अंतः राज्य लिंक प्रस्ताव पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया था। रा.ज.वि.अ ने इस प्रस्ताव का पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किया है और झारखण्ड सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी है। पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार संख – दक्षिण कोइल लिंक में संख नदी का 498 मि.घ.मी जल दक्षिण कोइल नदी में पथांतरण की परिकल्पना है ताकि दक्षिण कोइल – सुबर्णरेखा लिंक के ज़रिए यह जल सुबर्णरेखा नदी में प्रसारित किया जा सके। इस लिंक में मार्ग के जल आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद 403 मि.घ.मी जल वितरित करने की परिकल्पना है। झारखण्ड सरकार ने रा.ज.वि.अ से इस परियोजना का वि.प.रि पर कार्य आरंभ करने का अनुरोध किया है, हालांकि, इस अंतः-राज्य लिंक प्रस्ताव की व्यवहार्यता रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर कार्य आरंभ करने से पहले एक सह-जलाशय राज्य होने के कारण ओडिशा राज्य से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है।

ओडिशा सरकार के प्रतिनिधियों ने उल्लेख किया कि संख – दक्षिण कोइल लिंक के पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट में आवास क्षेत्र अनुभाजन आधार पर रेंगाली जलकुंड के लिए 139.33 मि.घ.मी जल का प्रावधान रखा गया है। जबकि, जलाशय योजना के अनुसार अर्थात (ओडिशा सरकार द्वारा निष्पादित करवाया गया 3 रा स्पाइरल अध्ययन) संख और कोइल नदियों के ऊर्ध्वप्रवाह से 63% के सीमा तक इसकी जल उपयोगिता के घटाव के बाद 37% उत्पादन पर विचार करते हुए रेंगाली जलकुंड की योजना बनाई गई है। इस धारणा के विपरीथ पू.व्य.रि में रेंगाली जलकुंड के लिए मात्र 14% (139.33 मि.घ.मी) का प्रावधान है। इससे रेंगाली सिंचाई परियोजना के भविष्य योजना में गंभीर निहितार्थ उत्पन्न हो सकने की संभावना है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि औद्योगिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक समर्पित जलकुंड योजना के रूप में कल्पित मंदिरा बाँध की प्रत्यक्ष भण्डारण क्षमता 370.20 मि.घ.मी है। वर्तमान अनुसूचित 139.33 मि.घ.मी जल छोड़ने के बाद मंदिरा बाँध की प्राथमिकता गंभीर रूप से विस्थापित हो जाएगी। यह एक छोटा परियोजना होने के कारण, मानसून के दौरान यह नदियों की योजना के अपवाह की तरह काम करता है। वाष्पीकरण सहित प्रत्यक्ष भण्डारण क्षमता के दुगने क्षमता पर विचार करते हुए परियोजना को 740 मि.घ.मी जल की जरूरत है। अतः, केवल

139.33 मि.घ.मी जल सहित संख से दक्षिण कोइल में 75% निर्भरता प्रवाह की आधी मात्रा के स्थायी अंतरण के घटना में मंदिरा परियोजना की प्राथमिकता गंभीर रूप से प्रभावित होने वाली है।

झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधियों के राय में पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट में रा.ज.वि.अ ने अनुप्रवाह में सभी समर्पित आवश्यकताओं पर विचार किया है और यह इच्छा प्रकट की कि रा.ज.वि.अ को इस लिंक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

मतभेद पर विचार करते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि केन्द्रीय जल आयोग ने अध्ययन का पुनरीक्षण नहीं किया है, अध्यक्ष, के.ज.आ और अध्यक्ष, उप-समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तावित संख बाँध से नीचे सभी अनुप्रवाह समर्पण उपयोगों की जांच करने के लिए मुख्य अभियंता (ज.स.सं) के.ज.आ और मुख्य अभियंता (कृ.प्र.सं), के.ज.आ के सदस्यता सहित महानिदेशक, रा.ज.वि.अ के अध्यक्षता के अंतर्गत एक समूह संस्थापित की जा सकती है। अनुप्रवाह के भिन्न आवश्यकताओं की पूर्ती की पुष्टि के लिए समूह को हर रोज 10 अनुकरण करना होगा। कथित अध्ययन निष्पादित करने के लिए अभिकरण को प्रदत्त समय-सीमा का निर्णय मुख्य अभियंता (ज.स.सं), के.ज.आ के परामर्श से लिया जाएगा।

1.3.2 दक्षिण कोइल – सुबर्णरेखा लिंक

मुख्य अभियंता (मुख्यालय) ने लिंक प्रस्ताव पर संक्षिप्त विवरण पेश किया था। इस प्रस्ताव में संख-दक्षिण कोइल लिंक से 403 मि.घ.मी जल और दक्षिण कोइल जलाशय के मनोहरपुरा ब्लॉक में उपलब्ध अतिरिक्त और अप्रयुक्त 1281 मि.घ.मी जल का के तजना नदी के ज़रिए करकरी नदी से होते हुए चांडिल बाँध और सुबर्णरेखा जलाशय में पथांतरण की परिकल्पना है। तदनुसार, रा.ज.वि.अ ने इस प्रस्ताव की पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित की है। पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोइल -सुबर्णरेखा लिंक में दक्षिण कोइल से सुबर्णरेखा में 1792 मि.घ.मी (संख से 403 मि.घ.मी और दक्षिण कोइल नदी से 1281 मि.घ.मी सहित) के पथांतरण की परिकल्पना है, जिसमे से मार्ग के उपयोगों के बाद 1684 मि.घ.मी सुबर्णरेखा नदी में पहुँचेगा, और झारखण्ड सरकार ने जिस जल का उपयोग औद्योगिक और नौपरिवहन उद्देश्यों हेतु करने का प्रस्ताव दिया है। इस अंतः-राज्य लिंक प्रस्ताव की व्यवहार्यता रिपोर्ट/ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व एक सह-जलाशय राज्य होने के नाते ओडिशा राज्य से सहमति लेना आवश्यक है।

ओडिशा सरकार के प्रतिनिधियों के बताया कि उनके प्रक्षेपण अनुसार झारखण्ड के जलाशय में उनके द्वारा 63% जलाशय उपयोगों के बुरे परिदृश्य के बाद एक अनुप्रवाही तटवर्ती राज्य के रूप में ओडिशा के शेष 37% उपलब्ध होगा। इस आधार पर 1290 मि.घ.मी (75% निर्भरता प्राप्ति का 37%) का की उपलब्धता का अनुमान लगाकर ब्राह्मणी जलाशय और संबंधित परियोजनाओं की सम्पूर्ण योजना बनाई गई है। इस परियोजना को स्वीकार करने के लिए आयोजित आंकड़ों की तुलना में ऊर्ध्वप्रवाह राज्यों द्वारा 475.86 मि.घ.मी समर्पित आरक्षण बहुत हीं अपर्याप्त मात्रा है।

झारखण्ड सरकार के प्रतिनिधियों ने शीघ्र-अति-शीघ्र रा.ज.वि.अ द्वारा इस लिंक परियोजना की वि.प.रि तैयारी आरंभ करने का अनुरोध किया।

के.ज.आ के अध्यक्ष और उप-समिति के अध्यक्ष के अवलोकन अनुसर दोनों लिंक, अर्थात संख – दक्षिण कोइल और दक्षिण कोइल - सुबर्णरेखा आपस में जुड़े हुए हैं, अतः इन प्रस्तावों पर एक साथ विश्लेषण किया जाना चाहिए। रा.ज.वि.अ के महानिदेशक के अंतर्गत संख – दक्षिण कोइल के लिए संस्थापित निश्चित समूह संख-दक्षिण कोयल लिंक के संबंध में अध्ययन समाप्त करने के बाद इस लिंक के प्रासंगिक पहलुओं पर गौर करेगी।

अध्यक्ष का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्त हुई।

संलग्नक I

17 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित संबंधी राज्यों के मध्य समझौते के ज़रिए मतैक्यता निर्माण करने और सहमति पर पहुँचने के लिए गठित उप-समिति के प्रथम बैठक (मतैक्यता समूह की 12 वीं बैठक) के सहभागी

क्रमांक	**सहभागी का नाम**	
	श्री ए.बी पांड्या अध्यक्ष, के.ज.आ	अध्यक्ष
	श्री ए. महेंद्रन सदस्य (ज.यो एवं प), के.ज.आ	सदस्य
	श्री नवीन कुमार मुख्य अभियंता (कृ.प्र.सं), के.ज.आ	सदस्य
	श्री एम. बंगरा स्वामी मुख्य अभियंता, अं.रा.ज, ज.सं.वि.सं, बेंगलुरु, कर्नाटक	प्रधान सचिव, ज.सं.वि, कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर्ता (सदस्य)
	श्री आर. सुब्रममन्यम अध्यक्ष, सीटीसी सह अंतर-राज्यीय जल विंग, तमिलनाडु	आयुक्त सह सचिव, लो.का.वि, तमिल नाडू सरकार का प्रतिनिधित्व कर्ता (सदस्य)
	श्री निरंजन पंडा अधीक्षण अभियंता, ज.सं.वि.सं, ओडिशा	प्रधान सचिव, ज.सं.वि, ओडिशा सरकार का प्रतिनिधित्व कर्ता (सदस्य)
	श्री डी.के सिंह अधीक्षण अभियंता, ज.सं.वि, झारखण्ड सरकार, रांची	प्रधान सचिव, ज.सं.वि, झारखण्ड सरकार का प्रतिनिधित्व कर्ता (सदस्य)
	श्री जोसफ जशीन पॉल कार्यकारी अभियंता, ज.सं.वि, केरला सरकार	आयुक्त सह सचिव, लो.का.वि, केरला सरकार का प्रतिनिधित्व कर्ता (सदस्य)
	श्री एस. मसूद हुसैन महानिदेशक, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव
	ज.सं, न.वि और गं.सं.मं के अधिकारी	
	डॉ बी. राजेंदर, संयुक्त सचिव (पीपी), ज.सं, न.वि और गं.सं.मं	विशेष अतिथि

	श्री एस. के गंगवार वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम) ज.सं, न.वि और गं.सं.मं	विशेष अतिथि
	के.ज.आ के अधिकारी	
	श्री आर.के जैन मुख्य अभियंता, ज.यो.प्र.सं, के.ज.आ	विशेष अतिथि
	श्री हरिकेश मीना निदेशक, रा.ज.प, के.ज.आ	विशेष अतिथि
	राज्य सरकारों के अधिकारी	
	श्री श्रीरमईया तकनीकी सलाहकार, ज.सं.वि, कर्नाटक सरकार, बेंगलुरु	
	श्री मदन मोहन सेठी एईई, आईडब्लूडी सेल, ओडिशा	
	रा.ज.वि.अ के अधिकारी	
	श्री एम.के श्रीनिवास मुख्य अभियंता (दक्षिण), रा.ज.वि.अ, हैदराबाद	
	श्री आर.के. जैन मुख्य अभियंता (मुख्यालय), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
	श्री एच.एन.दीक्षित मुख्य अभियंता (उत्तर), रा.ज.वि.अ, लखनऊ	
	श्री एन.सी जैन निदेशक (तक), रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
	श्री के.पी गुप्ता अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
	श्री ओ.पी.एस कुशवाह अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, नई दिल्ली	
	श्री मुज़फ्फर अहमद अधीक्षण अभियंता, रा.ज.वि.अ, पटना	